[2021] 8 एस. सी. आर 855

हरिराम भाम्भी

वी.

सत्यनारायन और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1278)

29 अक्टूबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़

और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

आयोजित किया गयाः उप-धाराएँ (3) और (5)। 15 ए विशेष रूप से पीड़ित या उनके आश्रित को आपराधिक कार्यवाही में एक सक्रिय हितधारक बनाता है ये प्रावधान हाशिए पर रहने वाली जाति के सदस्य को सक्षम बनाते हैं - किसी मामले को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना और दोषपूर्ण जांच के प्रभावों का प्रतिकार करना-उप-धारा (3) पूर्व सूचना का अधिकार प्रदान करती है, यह अभिव्यक्ति के उपयोग से स्पष्ट होता है "किसी भी अदालती कार्यवाही की उचित, सटीक और समय पर सूचना, जिसमें कोई भी शामिल है।

जमानत कार्यवाही "-उप-धारा (5) पीड़ित या आश्रित को सुने जाने के अधिकार का प्रावधान करती है-उप-धारा (3) के प्रावधान जो नोटिस की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं और उप-धारा (5) जो सुनवाई का अधिकार प्रदान करती है, का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जाना चाहिए पीड़ित या उनके आश्रित को नोटिस जारी नहीं करने और उन्हें संबंधित कार्यवाही में सुनवाई के अवसर से वंचित करने (जमानत देने के लिए) में दोष को उस कार्यवाही में सुनवाई प्रदान करके ठीक नहीं किया जा सकता है जो बाद में उत्पन्न हुई (जमानत रद्द करने के लिए)-कानून के अधिदेश के तहत हर चरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: s.15A पीड़ित को नोटिस जारी करने में अनुचित देरी-आयोजितः एस की उप-धारा (3)। 15 ए का प्रावधान है कि एक उचित और समय पर नोटिस जारी किया जाना चाहिए

पीड़ित या उनके आश्रित-इसका तात्पर्य यह होगा कि पीड़ितों या उनके आश्रितों को पहले या जल्द से जल्द नोटिस दिया जाए यदि नोटिस जारी करने में अनुचित देरी होती है, तो पीड़ित या उनके आश्रित मामले में हुई प्रगति से अनजान रहेंगे और यह आरोपी के बचाव का प्रभावी ढंग से विरोध करने के उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा-यह

अंततः जमानत की कार्यवाही या मुकदमे में भी देरी होगी, जिससे अभियुक्त के अधिकार भी प्रभावित होंगे।

और "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए" पहले प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करना समीचीन है-जमानत आदेश में जमानत देने के लिए प्रासंगिक कारकों का उल्लेख नहीं किया गया है, जो हैं (i) अपराध की गंभीरता और गंभीरता; और (ii) अपराध करने में पहले प्रतिवादी की भूमिका-इस प्रकार, जमानत देने में उच्च न्यायालय का आदेश पारित नहीं हो सकता है। मास्टर-कारणों को दर्ज करने के कर्तव्य को प्रस्तुतियों को दर्ज करके दूर नहीं किया जा सकता है, इसके बाद तथ्यों में एक सर्वव्यापी और

परिस्थितियों का सूत्र-संक्षिप्त कारण जो जमानत देने के आधार को इंगित करते हैं, आवश्यक हैं, क्योंकि यह अदालत द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण हैं जो आदेश के आधार को इंगित करते हैं-निर्णय/आदेश तर्कसंगत आदेश-एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।

एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: अधिनियम का उद्देश्य-चर्चा की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गयाः 1. एस. सी./एस. टी. अधिनियम संसद द्वारा एक हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए लागू किया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों का

जनजातियाँ। धारा 15 ए, जो एससी/एसटी अधिनियम के अध्याय IV-ए के तहत आती है, जिसका शीर्षक 'पीड़ितों और गवाहों के अधिकार' है, को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा पेश किया गया था

(अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015, जो 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ। [पैरा 10,11] [865-एफ; 866-जी-एच]

2. भारत में जांच का अनन्य क्षेत्र है

पुलिस, जहाँ पीड़ितों को अक्सर आपराधिक न्याय प्रणाली में एक दर्शक की भूमिका के लिए हटा दिया जाता है। अपराध के पीड़ितों को अक्सर जांच और अभियोजन के दौरान महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विशेष रूप से पीड़ित हैं आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रियात्मक खामियों का लेखा। उन्हें मंच से न्याय प्राप्त करने में दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ता है

मुकदमे के समापन तक शिकायत दर्ज करना। उच्च जाति समूहों के सदस्यों से प्रतिशोध के डर के कारण, अज्ञानता हरिराम भाम्भी v.

सत्यनारायन और ए. एन. आर.

या पुलिस की उदासीनता, कई पीड़ित पहली जगह में शिकायत दर्ज नहीं करते हैं। यदि पीड़ित या उनके रिश्तेदार पुलिस से संपर्क करने का साहस जुटाते हैं, तो पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज करने के लिए अनिच्छुक होते हैं या आरोप सही ढंग से दर्ज नहीं करते हैं। अंततः, यदि मामला दर्ज हो जाता है, तो पीड़ितों और गवाहों को धमकी, हिंसा और सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, जाति आधारित अत्याचारों के कई अपराधी घटिया जांच और अधिवक्ताओं पर मुकदमा चलाने की लापरवाही के कारण भाग जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप कम दोषसिद्धि दर होती है।

एससी/एसटी अधिनियम के तहत गलत धारणा को जन्म देना कि

अधिनियम के तहत दर्ज मामले झूठे हैं और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके विपरीत, वास्तविकता यह है कि कई दोषमुक्तियां अनुचित जांच और अपराध के अभियोजन का परिणाम हैं, जिससे अपर्याप्त सबूत मिलते हैं। यह कम प्रतिशत से स्पष्ट है। बरी किए जाने की दर की तुलना में झूठी शिकायतों से संबंधित दंड संहिता के प्रावधानों को लागू करने वाले मामलों की संख्या। [पैरा 12] [867-सी-जी]

3. धारा 15 ए की उप-धारा (3) पूर्व सूचना का अधिकार प्रदान करती है, यह अभिव्यक्ति के उपयोग से स्पष्ट है।

" किसी भी जमानत कार्यवाही सहित किसी भी अदालती कार्यवाही की उचित, सटीक और समय पर सूचना। उप-धारा (5) पीड़ित या आश्रित को सुने जाने के अधिकार का प्रावधान करती है। उप-धारा (3) के प्रावधान जो सूचना की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं और उप-धारा (5) के प्रावधान जो सुनवाई का अधिकार प्रदान करते हैं, उनका सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जाना चाहिए। नोटिस जारी करने की आवश्यकता सुनवाई के अधिकार की सुविधा प्रदान करती है। [पैरा 14] [868-जी-एच; 869-ए-सी]

सुनीता गंधर्व बनाम। एम. पी. और ए. एन. आर. राज्य 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एमपी 2193; हेमल अश्विन जैन बनाम। भारत संघ आर/2020 का विशेष नागरिक आवेदन संख्या 6369-आश्रित

पर।

4. वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि नोटिस देने और सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया गया था। प्रारंभ में, जब एस. बी. आपराधिक अपील No.1132/2019 की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा पहली जमानत याचिका में विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत से इनकार के खिलाफ की गई थी, तो अपीलार्थी वकील के माध्यम से उपस्थित था। धारा 14 ए (2) के तहत अपील

एस. सी./एस. टी. अधिनियम के पहले प्रतिवादी द्वारा दबाव नहीं डाला गया था और यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट थी।

तदनुसार खारिज कर दिया। जब उच्च न्यायालय ने 7 नवंबर 2019 को एस. बी. आपराधिक अपील पर विचार किया, तो अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। उच्च न्यायालय ने जमानत के लिए आवेदन को स्वीकार कर लिया। जब अपीलार्थी ने जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, तो एकल न्यायाधीश ने यह विचार रखा कि उस विशेष स्तर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने से कमी दूर हो जाएगी। कानून के अधिदेश का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। उप-धाराएँ (3) और (5) संसद द्वारा पेश की गई हैं ताकि व्यक्ति के खिलाफ सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।

जिनका अपराध किया गया है या आश्रितों के लिए। इन प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। पीड़ित या उनके आश्रित को नोटिस जारी न करने और वंचित करने में दोष

संबंधित कार्यवाही (जमानत देने के लिए) में सुनवाई के अवसर के बारे में उन्हें बाद में उत्पन्न हुई कार्यवाही (जमानत रद्द करने के लिए) में सुनवाई प्रदान करके ठीक नहीं किया जा सकता है। कानून के अधिदेश के तहत हर स्तर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। [पारस 18,19] [871-ए-एफ]

अजीत चौधरी बनाम। यूपी राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन सभी 417; बशीर एम. वी. केरल राज्य 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 1675; मारेना और अन्य। वी. राज्य और अन्य। 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 1077; आबिद बनाम। राजस्थान राज्य 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 2703-पर निर्भर था।

5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार अतीत की बात नहीं है। वे आज भी हमारे समाज में एक वास्तविकता बने हुए हैं। अतः वैधानिक प्रावधान जो संसद द्वारा संरक्षण के उपाय के रूप में अधिनियमित किए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों का अनुपालन किया जाना चाहिए और उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। एक स्पष्ट उल्लंघन हुआ है

उप-धारा (3) और (5) में सन्निहित वैधानिक आवश्यकताएँ

वर्तमान मामले में धारा 15 क। [पैरा 20] [871-एफ-जी]

6. धारा 15 ए की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि पीड़ित या उसके आश्रित को एक उचित और समय पर सूचना जारी की जानी चाहिए।

इसका अर्थ यह होगा कि पीड़ितों या उनके आश्रितों को पहले या जल्द से जल्द नोटिस दिया जाए। यदि नोटिस जारी करने में अनुचित देरी होती है, तो पीड़ित, या हरिराम भाम्भी के रूप में।

सत्यनारायन और ए. एन. आर.

मामला हो सकता है, उनके आश्रित, के बारे में अनजान रहेंगे

मामले में हुई प्रगति और यह अभियुक्त के बचाव का प्रभावी ढंग से विरोध करने के उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यह भी होगा अंततः जमानत की कार्यवाही या मुकदमे में देरी होती है, जिससे अभियुक्त के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। [पैरा 21] [871-एच; 872-ए-बी]

रमेश भवन राठौड़ बनाम। विशनभाई हीराभाई मकवाना (2021) 6 एस. सी. सी. 230-पर निर्भर था।

7. प्रथम प्रत्यर्थी को जमानत देते समय, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में केवल वकील की प्रस्तुति दर्ज की

प्रथम प्रत्यर्थी, जो मृतक की पत्नी, पीडब्लू-2 ने मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए अपने बयान के दौरान कहा था कि मृतक अपने भाई 'के' के साथ गया था; कि 'के' ने मृतक के नाम पर एक बीमा पॉलिसी प्राप्त की थी और 'के' द्वारा अपने दोस्तों की मदद से बीमा पॉलिसी की आय प्राप्त करने के लिए हत्या की गई थी। प्रथम प्रतिवादी के वकील की दलीलें दर्ज करने के बाद जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश में यह ध्यान देने के अलावा कोई तर्क नहीं है कि लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए" पहले प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करना न्यायसंगत और समीचीन था। इस तरह के आदेश एक साथ पारित नहीं हो सकते। कारणों को दर्ज करने के कर्तव्य को रिकॉर्ड करके दूर नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तुतियाँ, तथ्यों में एक सर्वव्यापी के बाद और

8. इससे पहले कि उच्च न्यायालय ने 7 नवंबर 2019 के अपने आदेश से जमानत दी, अंतिम रिपोर्ट 6 नवंबर को प्रस्तुत की गई थी। सितम्बर 2018। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट में उन अभियुक्तों के कॉल डेटा रिकॉर्ड का विस्तृत विश्लेषण किया गया है जो एक-दूसरे के लगातार संपर्क में थे, साथ ही साथ घटना की तारीख और समय के निकट उनके स्थान का भी विस्तृत विश्लेषण किया गया है। जमानत आदेश में उन कारकों का कोई उल्लेख नहीं है जो जमानत देने के लिए प्रासंगिक हैं, जो हैं (i) अपराध की गंभीरता और गंभीरता; और (ii) अपराध करने में पहले प्रतिवादी की भूमिका। इस पृष्ठभूमि में, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जमानत देने में उच्च न्यायालय का आदेश पारित नहीं हो सकता है। आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने इसे वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 8 जून 2021 के विवादित आदेश द्वारा बस दोहराया कि जमानत मृतक की पत्नी, पीडब्लू 2 के बयान के आधार पर दी गई थी, जो एक बार फिर जमानत देने को नियंत्रित करने वाले विचारों के साथ कोई जुड़ाव दिखाने में विफल रही। प्रथम प्रतिवादी को जमानत देने का आदेश दरकिनार कर दिया जाएगा। [पारस 24,25] [873-डी-एच]

मामला कानून संदर्भ

(2021) 6 एससीसी 230

उस पर भरोसा करें

पैरा

22

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का No.1278

उच्च न्यायालय के 08.06.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एस. बी. सी. आर. एल. में जयपुर पीठ, जयपुर में राजस्थान के लिए न्यायपालिका। विविध। 2020 का रद्द जमानत आवेदन No.21।

अजीत कुमार ठाकुर, रामनाथ, अशोक कुमार वशिष्ठ, संदीप

कालिया, सतबीर सिंह पिल्लानिया, सुश्री रीना राव, नंद राम, डॉ. सुशील बलवाड़ा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मनीष शर्मा, कुमार दुष्यंत सिंह, चेतन्या सिंह, इलेश

शुक्ला, सुश्री रिया सचथे, मिलिंद कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. 9 जून 2018 को, अपीलार्थी ने पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई

किशनगढ़, जिला अजमेर, जिसके आधार पर दंड संहिता की धारा302 और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में, अपीलार्थी ने कहा कि 8 जून 2018 को, उसका छोटा भाई राम निवास श्रम कार्य करने के लिए बाहर गया था। अपीलार्थी को उस शाम उसकी माँ ने सूचित किया कि राम निवास अपने बहनोई किशन लाल से मिलने के लिए बाहर गया है और वह नहीं जाएगा।

दिन के लिए लौटें। 9 जून 2018 को, राम निवास की पत्नी ने अपीलार्थी को सूचित किया कि उनके भाई किशन लाल लगभग 3.000 'घड़ी में एक वाहन में राम निवास ले गए थे। स्थानीय निवासियों ने अपीलार्थी को सूचित किया कि राम निवास के शव को पुलिस स्टेशन किशनगढ़ के क्षेत्र में एक निर्दिष्ट स्थान पर एक वाहन से बाहर फेंक दिया गया था। जाँच शुरू हुई हरिराम भाम्भी बनाम।

सत्यनारायन और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर। चूंकि मृतक अनुसूचित जाति से थे, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय अपराध जोड़े गए। पहले प्रतिवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 सितंबर 2018 को, जांच अधिकारी द्वारा किशन लाल और तीन अन्य अभियुक्तों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता 2 की धारा 173 के तहत एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें से पहले प्रतिवादी का नाम ए-4 था।

3. सत्र न्यायालय द्वारा जमानत के लिए अपने आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित, प्रथम प्रतिवादी ने जमानत पर विस्तार की मांग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया। शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया गया था

उसे एससी/एसटी अधिनियम की 15 ए की उप-धारा (3) और (5) के तहत नोटिस दिया गया है। अपील 8 अगस्त 2019 को वापस ले ली गई थी।

4. 25 सितंबर 2019 को, पहले प्रतिवादी ने जमानत देने के लिए विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम मामले) अजमेर के समक्ष एक आवेदन दायर किया। जमानत के लिए आवेदन को विशेष न्यायाधीश द्वारा 25 सितंबर 2019 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। विशेष न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि पाँच गवाहों-पीडब्लू. 1 सुरेश, पीडब्लू. 2 श्रीमती के बयान। आराम देवी, पीडब्लू. 3 हरि राम, पीडब्लू. 4 रामशंकर और पीडब्लू. 5 गोकुल सिंह को दर्ज किया गया था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी थी। नतीजतन, पहले प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। प्रथम प्रतिवादी ने जमानत के लिए दूसरे आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। एससी/एसटी अधिनियम की धारा 15 ए के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

5. 7 नवंबर 2019 को, उच्च न्यायालय ने अपीलीय कार्यवाही 6 में दलीलें सुनीं जब इसे पहले पक्ष के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रत्यर्थी ने कहा कि मृतक की पत्नी पी. डब्ल्यू. 2 ने कहा था कि मृतक अपने बहनोई (सह-अभियुक्त किशन लाल) के साथ था, जिसने मृतक के नाम पर बीमा पॉलिसी ली थी और यह किशन लाल ही था जिसने बीमा पॉलिसी की आय प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों की मदद से हत्या की थी। प्रथम प्रत्यर्थी के उपरोक्त निवेदन को दर्ज करने के बाद, उच्च न्यायालय ने विस्तार किया

1 " एससी/एसटी अधिनियम "

2 " सी. आर. पी. सी. "3 एस. बी. आपराधिक अपील No.1132/2019

4 आपराधिक विविध मामला No.1253/2019 5 एस. बी. आपराधिक अपील No.2518/2019

' एस. बी. आपराधिक अपील No.2518/2019 [2021] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7 नवंबर 2019 के अपने आदेश द्वारा जमानत पर प्रथम प्रतिवादी। द.

उच्च न्यायालय का कथन इस प्रकार हैः

" 1. एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14 (ए) (2) के तहत वर्तमान आपराधिक अपील आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन किशनगढ़ जिला अजमेर में दर्ज प्राथमिकी No.116/2018 के संबंध में दर्ज की गई है।

और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के 3 (2) (v)।

2. अपीलार्थी के वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वकील आगे प्रस्तुत करता है कि मृतक की पत्नी श्रीमती। आराम देवी (पीडब्लू-2) ने अपने बयान में मुकदमे के दौरान दर्ज किया गया है कि मृतक अपने भाई सह-आरोपी किशन लाल के साथ गया था, जिसने उसके पति के नाम पर बीमा पॉलिसी ली है और उसने उसके पति के नाम पर वित्तपोषित होने और बीमा पॉलिसी की राशि लेने के लिए ट्रेलर भी खरीदा था। वकील आगे प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी के खिलाफ बयान में उसके द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया है और अपीलार्थी 11.06.2018 के बाद से सलाखों के पीछे है।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने अपील का विरोध किया है।

5. एस. सी./एस. टी. (अत्याचार मामलों की रोकथाम), अजमेर के विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित <आई. डी. 1 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और इस अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी सत्यनारायण पुत्र श्री सोहंदास को जमानत पर रिहा किया जाएगा बशर्ते वह दो के साथ Rs.50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) की राशि का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करे। रुपये की राशि में प्रतिभूति। 25,000 / - (केवल पच्चीस हजार रुपये) प्रत्येक विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए इस शर्त के साथ कि वह सुनवाई की सभी बाद की तारीखों पर उस न्यायालय और किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जिसमें मामला स्थानांतरित किया जाता है।

और जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए।

6. अपीलार्थी ने जमानत रद्द करने के लिए धारा 439 (2) के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया। इस बीच, उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश ने 29 जनवरी 2021 के एक आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया।आपराधिक जमानत रद्द करने का आवेदन No.21/2020 हरिराम भाम्भी v.

सत्यनारायन और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

तीन सह-अभियुक्तों-कालू राम, किशन लाल और चमन लाल द्वारा दायर जमानत के लिए। उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन था मुख्य रूप से इस आधार पर दायर किया गया कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 15 ए की उप-धारा (3) के तहत अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप धारा 15 ए की उप-धारा (5) के तहत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। एकल न्यायाधीश, जिन्होंने 7 नवंबर 2019 को पहले प्रतिवादी को जमानत के लिए स्वीकार किया था, ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि चूंकि जमानत रद्द करने के आवेदन में अपीलार्थी की सुनवाई की जा रही थी, इसलिए धारा 15 ए की उप-धारा (3) और (5) की आवश्यकताओं का पालन किया गया था। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की धारा 15 ए (3) (5) के अनुपालन का संबंध है, इस न्यायालय ने आज शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता के वकील को गुण-दोष पर फिर से सुना, इसलिए शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता (पीड़ित) को धारा के तहत नोटिस जारी करने की आवश्यकता है।

15 एससी/एसटी अधिनियम के ए (3) (5) का पालन किया जा रहा है।

पीडब्लू-2 के कथन पर विचार करते हुए, श्रीमती. इसलिए मृतक की पत्नी आराम देवी, मुझे आदेश को वापस लेने का कोई कारण नजर नहीं आता। दिनांकित 07.11.2019। इस प्रकार, यह आपराधिक विविध जमानत

रद्द करने का आवेदन इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

7. हमने श्री अजीत कुमार ठाकुर को सुना है, जो विद्वान वकील हैं।

अपील का समर्थन। श्री मनीष शर्मा, विद्वान वकील, प्रथम प्रतिवादी की ओर से पेश हुए हैं जबकि श्री चेतन्या सिंह, विद्वान वकील, राजस्थान राज्य की ओर से पेश हुए हैं। अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है किः

((i)

प्रावधानों का मौलिक उल्लंघन हुआ है।

उच्च न्यायालय द्वारा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 15 ए के तहत अपीलार्थी को नोटिस जारी नहीं करने पर, जो शिकायतकर्ता के रूप में अपनी क्षमता में किसी भी कार्यवाही में सुनवाई का हकदार था।
अधिनियम के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, जमानत के संबंध में;

वास्तव में, दायर की गई अपील में

((ख)

विशेष न्यायाधीश द्वारा पहली जमानत याचिका की अस्वीकृति के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी था
वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया और 8 अगस्त 2019 के एक आदेश द्वारा, अपील को खारिज कर दिया गया क्योंकि दबाव नहीं डाला गया था;

(iii)

उप के तहत अपीलार्थी को नोटिस जारी करने में विफलता

जे. पी. आर. ई. एम. अदालत की रिपोर्ट में जमानत देने से पहले धारा 15 ए की धारा (3) और (5)

उच्च न्यायालय द्वारा बाद में खारिज नहीं किया जा सकता है यह देखते हुए कि अपीलार्थी को सुना जा रहा था

जमानत रद्द करने के लिए आवेदन; 7 नवंबर 2019 के आदेश में एकल न्यायाधीश ने केवल

अभियुक्त के वकील का बयान दर्ज किया कि मृतक के पति ने अपने बयान के दौरान आरोप लगाया था कि मृतक अपने भाई के साथ गया था जो के नाम पर बीमा पॉलिसी प्राप्त की थी

मृतक का देवर किशन लाल था, जिसने उसकी मदद से हत्या की थी।

उसके दोस्त;

6 सितंबर 2018 को जांच के बाद प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया मृतक की हत्या में पहले प्रतिवादी की संलिप्तता का पता चलता है। जाँच से पता चला है कि पहले प्रतिवादी ने दो सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या में भाग लिया और

एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज है; और

मृतक की पत्नी और मां और धारा 161 सीआरपीसी के तहत एक स्वतंत्र गवाह के बयानों के अलावा, आरोपी के कॉल डेटा रिकॉर्ड 1 जून 2018 और 11 जून 2018 के बीच की अवधि के लिए प्राप्त किए गए हैं। कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चलता है कि सभी आरोपी उक्त अवधि के दौरान एक-दूसरे के निकट संपर्क में थे और अपराध के समय के निकट थे। कॉल डेटा रिकॉर्ड उस समय आरोपी के स्थान का भी संकेत देते हैं।

हत्या से।

दूसरी ओर, विचार की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया किः

जमानत देने का आदेश मृतक के जीवनसाथी के बयान पर निर्भर करता है कि राम निवास की हत्या उनके द्वारा की गई थी। उसके बहनोई किशन लाल ने अपने दोस्तों की मदद से बीमा पॉलिसी की आय प्राप्त की जो मृतक के नाम पर प्राप्त की गई थी और इसलिए मुख्य और ठोस आरोप किशन लाल के खिलाफ है।

यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलार्थी को जमानत देने से पहले सुना जाना चाहिए था, तो न्यायालय कार्यवाही को वापस भेजने पर विचार कर सकता है।

उच्च न्यायालय को; और हरिराम भाम्भी बनाम।

सत्यनारायन और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

7 नवंबर 2019 को उनकी रिहाई के बाद से पहला प्रतिवादी

(iii)

ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे नुकसान हो उसकी स्वतंत्रता पर भार डालना।

9. अतिरिक्त एस. पी., ग्रामीण जिला, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि जांच के दौरान यह पता चला है कि राम निवास के बहनोई किशन लाल ने विजय नगर से बंदरसिंदरी तक वाहन में चढ़ने में राम निवास की मदद की थी। कुछ समय बाद, बंदर सिंडरी के स्थानीय निवासियों ने किशनगढ़ क्षेत्र में स्थित गोकुल सिंह ढाबा के सामने राम निवास के शव को वाहन से बाहर फेंके जाते देखा। धारा के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए गए

161 सीआरपीसी। जाँच के दौरान, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के प्रावधान जोड़े गए; आरोपी स्वर्ण समुदाय से है जबकि मृतक अनुसूचित जाति से है। के अनुसार

हलफनामे में, जिस सफी के साथ मृतक को वाहन में मार दिया गया था, उसे पहले प्रतिवादी सहित आरोपी के कहने पर बरामद किया गया था। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि कॉल डेटा रिकॉर्ड के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि 9 जून 2018 को निरंतर बातचीत पाई गई थी लगभग 1.00pm पर बंदनवाड़ा के पास के स्थान पर अभियुक्त के बीच और उसके बाद पहले प्रतिवादी सहित सभी अभियुक्तों का स्थान उसी स्थान पर पाया गया। हलफनामे में यह प्रस्तुत किया गया है कि पहला प्रतिवादी एक आदतन अपराधी है; उस पर पहले केकारी जिला न्यायालय के एसीजेएम-1 की अदालत में मामले में आईपीसी की धारा 498 ए और 406 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है और एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम को संसद द्वारा एक हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकार। 1989 में विधेयक को पेश करने के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित स्पष्टीकरण शामिल है:

" 1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए विभिन्न उपायों के बावजूद, वे असुरक्षित बने हुए हैं। उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। वे विभिन्न अपराधों, अपमान, अपमान और अपमान के अधीन हैं। उत्पीड़न। उन्हें कई क्रूर घटनाओं में उनके जीवन और संपत्ति से वंचित किया गया है। उनके खिलाफ गंभीर अपराध किए जाते हैं।

वे विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से हैं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. शिक्षा आदि के प्रसार के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच बनाई गई जागरूकता के कारण, वे अपने अधिकारों का दावा करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों द्वारा इसे बहुत दयालुता से नहीं लिया जा रहा है। जब वे अपने अधिकारों का दावा करते हैं और अपने खिलाफ असंवेदनशीलता की प्रथाओं का विरोध करते हैं या वैधानिक न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हैं या किसी भी बंधुआ और जबरन श्रम करने से इनकार करते हैं, तो निहित स्वार्थ उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अपनी महिलाओं के आत्म-सम्मान या सम्मान को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो वे प्रबल और पराक्रमी लोगों के लिए चिड़चिड़े हो जाते हैं। अनुसूचित जातियों द्वारा सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर भी व्यवसाय और खेती

और अनुसूचित जनजातियाँ नाराज होती हैं और 'अक्सर ये लोग निहित स्वार्थों के हमलों का शिकार हो जाते हैं, कुछ अत्याचारों की परेशान करने वाली प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है जैसे कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को मानव मल जैसे अखाद्य पदार्थ खाने के लिए मजबूर करना और असहाय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हमले और सामूहिक हत्याएं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के साथ बलात्कार।

अनुसूचित जनजातियाँ। इन परिस्थितियों में, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और भारतीय दंड संहिता के सामान्य प्रावधानों जैसे मौजूदा कानून अपर्याप्त पाए गए हैं।

इन अपराधों की जाँच करें। गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जातियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए अपराधों की जांच और उन्हें रोकने के लिए एक विशेष कानून

इसलिए अनुसूचित जनजातियाँ आवश्यक हो गई हैं।

3. 'अत्याचार' शब्द को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। यह आवश्यक माना जाता है कि न केवल 'अत्याचार' शब्द को परिभाषित किया जाना चाहिए, बल्कि इस तरह के अत्याचारों के लिए उच्च दंड का प्रावधान करने के लिए कड़े उपाय किए जाने चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुसूचित जातियों की रक्षा के लिए विशिष्ट निवारक और दंडात्मक उपाय करने का आदेश देने का भी प्रस्ताव है

और अनुसूचित जनजातियों को पीड़ित होने से और कहाँ

पर्याप्त राहत और सहायता प्रदान करने के लिए अत्याचार किए जाते हैं।

उन्हें बहाल करने के लिए। 4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

11. धारा 15 ए, जो एससी/एसटी के अध्याय IV-ए के तहत आती है, 'पीड़ितों और गवाहों के अधिकार' को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) पहचान अधिनियम, 2015 के माध्यम से पेश किया गया था, जो 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ था।

द हरिराम भाम्भी v. सत्यनारायन और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अध्याय IV-A के सम्मिलन के साथ आने वाले उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः

" (ज) पीड़ितों के अधिकारों से संबंधित एक नया अध्याय IVA सम्मिलित करना।

और गवाहों को कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लागू करने के लिए

राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पीड़ित, उनके आश्रित और किसी भी प्रकार के खिलाफ गवाह

धमकी, जबरदस्ती या प्रलोभन या हिंसा या धमकी हिंसा "(जोर दिया गया)"।

12. भारत में जाँच पुलिस का अनन्य क्षेत्र है।

जहाँ पीड़ितों को अक्सर आपराधिक न्याय प्रणाली में एक दर्शक की भूमिका के लिए हटा दिया जाता है। अपराध के पीड़ितों को अक्सर जांच और अभियोजन के दौरान महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजातियाँ विशेष रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रियात्मक खामियों के कारण पीड़ित होती हैं। उन्हें न्याय तक पहुँचने में दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ता है

शिकायत दर्ज करने के चरण से लेकर मुकदमे के समापन तक। उच्च जाति समूहों के सदस्यों से प्रतिशोध के डर के कारण, अज्ञानता

या पुलिस की उदासीनता, कई पीड़ित पहली जगह में शिकायत दर्ज नहीं करते हैं। यदि पीड़ित या उनके रिश्तेदार पुलिस से संपर्क करने का साहस जुटाते हैं, तो पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज करने के लिए अनिच्छुक होते हैं या आरोप सही ढंग से दर्ज नहीं करते हैं। अंततः, यदि मामला दर्ज हो जाता है, तो पीड़ितों और गवाहों को धमकी, हिंसा और सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, जाति-आधारित अत्याचारों के कई अपराधी घटिया जांच के कारण बच कर भाग जाते हैं और

अधिवक्ताओं पर मुकदमा चलाने में लापरवाही। इसके परिणामस्वरूप एससी/एसटी अधिनियम के तहत कम दोषसिद्धि दर इस गलत धारणा को जन्म देती है कि मामले

अधिनियम के तहत पंजीकृत गलत हैं और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके विपरीत, वास्तविकता यह है कि कई दोषमुक्तियां अनुचित जांच और अपराध के अभियोजन का परिणाम हैं, जिससे अपर्याप्त सबूत मिलते हैं। यह झूठी शिकायतों से संबंधित दंड संहिता के प्रावधानों को लागू करने वाले मामलों के कम प्रतिशत से स्पष्ट है दोषमुक्ति की दर की तुलना में। 10

8 सी प्रभु, जाति-आधारित अत्याचारों में पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों की रक्षा करना, सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च ब्लॉग, यहां उपलब्ध हैः //सीएलपीआर। org. in/ब्लॉग/पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना-गवाह-जाति-आधारित-अत्याचार/(15 सितंबर 2020), आखिरी बार 27 अक्टूबर 2021 को एक्सेस किया गया था। 9 9 सुभ्रदिप्त सरकार, द क्वेस्ट फॉर विक्टिम्स जस्टिस इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स ब्रीफ 17 (2) (2010) p.16-20।

10 स्थबीर खोरा, मिसकंसट्रक्शन ऑफ द एंटी-एट्रोसिटी एक्ट 'स मिसयूज, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली 53 (15) (14 अप्रैल 2018)।

21] 8 एस सी आर।

13. एससी/एसटी अधिनियम की धारा 15 ए में महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

जो जाति आधारित अत्याचारों और गवाहों के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करता है। धारा 15 ए की उप-धारा (3) और (5) विशेष रूप से पीड़ित या उनके आश्रित को अपराधी में सक्रिय हितधारक बनाती है।

कार्यवाही। ये प्रावधान हाशिए पर रहने वाली जाति के सदस्य को किसी मामले को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने और दोषपूर्ण मामलों के प्रभावों का मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं। जाँच-पड़ताल। धारा 15 ए की उप-धारा (1) से (5) नीचे दी गई हैं:

" 15 ए (1) यह राज्य का कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी कि वह

पीड़ितों, उनके आश्रितों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था, और

किसी भी प्रकार की धमकी या जबरदस्ती के खिलाफ गवाह या प्रलोभन या हिंसा या हिंसा की धमकी।

(2) पीड़ित के साथ निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा और

किसी भी विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो इसके कारण उत्पन्न होती है

पीड़ित की उम्र या लिंग या शैक्षिक नुकसान या गरीबी।

(3) पीड़ित या उसके आश्रित को अधिकार होगा - किसी भी न्यायालय की उचित, सटीक और समय पर सूचना

लोक अभियोजक या राज्य सरकार सूचित करेगी इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के बारे में पीड़ित।

(4) पीड़ित या उसके आश्रित को आवेदन करने का अधिकार होगा

किसी भी दस्तावेज या सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए पक्षों को बुलाना, गवाहों या उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ करें।

(5) पीड़ित या उसके आश्रित को सुनवाई का अधिकार होगा। जमानत के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में,

निष्कासन, रिहाई, पैरोल, दोषसिद्धि या किसी व्यक्ति की सजा

दोषसिद्धि, दोषमुक्त या दोषमुक्त होने पर लिखित निवेदन दाखिल करें सजा "।

(जोर दिया गया)

14. धारा 15 ए की उप-धारा (3) एक वैधानिक अधिकार प्रदान करती है -

पीड़ित या उनके आश्रितों को जमानत कार्यवाही सहित किसी भी अदालती कार्यवाही की उचित, सटीक और समय पर सूचना देना। इसके अलावा, उप-धारा (3) के लिए एक विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार की आवश्यकता होती है -

पीड़ित को अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के बारे में सूचित करें। उप-धारा (3) पूर्व सूचना का अधिकार प्रदान करती है, यह हरिराम भाम्भी v के उपयोग से स्पष्ट है।

अभिव्यक्ति "किसी भी जमानत कार्यवाही सहित किसी भी अदालती कार्यवाही की उचित, सटीक और समय पर सूचना"। उप-धारा (5) पीड़ित या आश्रित को सुने जाने के अधिकार का प्रावधान करती है। धारा 2 (बी. बी.) में "आश्रित" अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

" 2 (ख) "आश्रित" से पीड़ित का पति या पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई और बहन अभिप्रेत हैं, जो पूरी तरह से या मुख्य रूप से पीड़ित व्यक्ति पर निर्भर हैं।

ऐसा पीड़ित अपने समर्थन और रखरखाव के लिए; "

उप-धारा (3) के प्रावधान जो सूचना की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं और उप-धारा (5) के प्रावधान जो सुनवाई का अधिकार प्रदान करते हैं, उनका सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जाना चाहिए। नोटिस जारी करने की आवश्यकता सुनवाई के अधिकार की सुविधा प्रदान करती है।

15. उच्च न्यायालय के कई फैसलों में कहा गया है कि धारा 15 ए पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों की रक्षा के लिए पेश की गई थी, जिनकी आपराधिक न्याय प्रणाली के समान लाभार्थियों के रूप में अधिकारों की अक्सर उनकी कमजोर सामाजिक स्थिति के कारण अनदेखी की जाती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, सुनीता गंधर्व बनाम। एम. पी. और ए. एन. आर. राज्य, 1 1 ने धारा 15 ए को सम्मिलित करने वाले संशोधन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा किः

" 21. वर्षों के अनुभव के साथ, यह पाया गया कि परिभाषाओं में कुछ अस्पष्टता और कुछ प्रक्रियात्मक जड़ता के कारण, अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने में कमी थी, इसलिए, इसे और अधिक पीड़ित बनाने के लिए

उन्मुख, संशोधन अधिनियम पेश किया गया था।

पीड़ित को परिभाषित किया गया है और धारा 14-ए, धारा 15-ए के अलावा, पहली बार उनकी देखभाल के लिए "पीड़ित और गवाहों के अधिकार" पेश किए गए थे। पीड़ित की परिभाषा में शामिल हैं-रिश्तेदार, कानूनी अभिभावक और कानूनी उत्तराधिकारी और यह परिभाषा बहुत व्यापक है। Cr.P.C की धारा 2 (डब्ल्यू. ए.) में प्रदान की गई पीड़ित की परिभाषा में अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हैं, न कि रिश्तेदार। इसी तरह, अत्याचार अधिनियम की धारा 15 ए पीड़ितों/गवाहों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करती है। यहां तक कि पीड़ित को भी जमानत याचिका की सुनवाई के समय अदालत में पेश होने का मौका दिया गया है। जमानत रद्द करने या रद्द करने का न्यायालय का अधिकार

पीड़ितों/गवाहों की सुरक्षा के उपायों में से एक है

सुनिश्चित किया जा सकता है "।

21] 8 एस सी आर।

16. हेमल अश्विन जैन बनाम में गुजरात उच्च न्यायालय। भारत संघ 12 1 2 ने कहा किः

" 37. पीड़ितों के पास, आज भी, जाँच के स्तर पर अधिकारों की कोई झलक नहीं है और जाँच के स्तर पर एक कमजोर स्थिति है।

आपराधिक अभियोजन।

53. हम Mr.Popat के इस तर्क से भी प्रभावित नहीं हैं कि

संशोधन अधिनियम की धारा 15 ए (3) का अर्थ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए -

निर्देशिका और अनिवार्य नहीं। जैसा कि एक सादे पठन से स्पष्ट है

ऊपर उद्धृत धारा, पीड़ित को नोटिस दिया जाना चाहिए

जमानत आवेदन का और होने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए

सुना और अग्रिम तर्क। जब एक क़ानून विशेष रूप से प्रदान करता है

पीड़ित/आश्रित को किसी भी कार्यवाही में सुने जाने का अधिकार जमानत का सम्मान, और यदि न्यायालय ऐसा अवसर प्रदान करने में विफल रहता है,

तब न्याय की एक अंतर्निहित विफलता होती है। इस प्रक्रिया में, हमारे

राय, को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। प्रावधान का गैर-अनुपालन

संशोधन अधिनियम की धारा 15 ए (3) एक आदेश देगी।

निर्देशिका के रूप में समझा जाता है, फिर वही उद्देश्य और उद्देश्य जिसके साथ इस तरह के प्रावधान को लागू किया जाता है तो यह विफल हो जाएगा। "

61. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि

संशोधन अधिनियम की धारा 15 ए (3) अनिवार्य है और निर्देशिका नहीं "

(जोर दिया गया)।

17. गुजरात उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि

पीड़ित या आश्रित को अदालती कार्यवाही का नोटिस जारी करना

धारा 15ए (3), उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए, अनिवार्य है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय सहित कई उच्च न्यायालय के निर्णयों में प्रतिध्वनि मिलती है। हम इस प्रस्ताव से सहमत हैं और मानते हैं कि धारा 15ए की उप-धाराएं (3) और (5) अनिवार्य प्रकृति की हैं। 12 आर/2020 का विशेष सिविल आवेदन संख्या 6369 (गुजरात उच्च न्यायालय), यहां उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. जीवंत। इन/पी. डी. एफ. अपलोड/पी. डी. एफ. अपलोड-380514। पी. डी. एफ. (अंतिम बार 27 पर पहुँचा गया)

अक्टूबर 2021)।

13 अजीत चौधरी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 417 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय); बशीर एम. वी. केरल राज्य, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 1675 (केरल उच्च न्यायालय); और मारेना और अन्य। वी. राज्य और अन्य। , 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन कार 1077 (कर्नाटक उच्च न्यायालय)।

1 4 आबिद v. राजस्थान राज्य, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 2703।

हरिराम भाम्भी बनाम। सत्यनारायन और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

2019 पहली जमानत याचिका में विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत से इनकार के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई थी, अपीलार्थी इसके माध्यम से उपस्थित था वकील। एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14 ए (2) के तहत अपील पर पहले प्रतिवादी द्वारा दबाव नहीं डाला गया था और तदनुसार खारिज कर दिया गया था। धारा 14 ए (2) निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 14 ए (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 378 की उप-धारा (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जमानत देने या अस्वीकार करने वाले विशेष न्यायालय या विशेष विशेष न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

19. जब उच्च न्यायालय ने एस. बी. आपराधिक अपील पर विचार किया

कानून का अधिदेश। उप-धाराएँ (3) और (5) संसद द्वारा पेश की गई हैं ताकि व्यक्ति के खिलाफ सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। जिनका अपराध किया गया है या आश्रितों के लिए। ये प्रावधान

इसका सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। हम एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हो सकते हैं कि पीड़ित या उनके आश्रित को नोटिस जारी नहीं करने और उन्हें संबंधित कार्यवाही (जमानत देने के लिए) में सुनवाई के अवसर से वंचित करने में दोष को उन्हें बाद में उत्पन्न हुई कार्यवाही (जमानत रद्द करने के लिए) में सुनवाई प्रदान करके ठीक किया जा सकता है। कानून के अधिदेश के तहत हर स्तर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। 20. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार अतीत की बात नहीं है। वे आज भी हमारे समाज में एक वास्तविकता बने हुए हैं। अतः वैधानिक प्रावधान जो संसद द्वारा संरक्षण के उपाय के रूप में अधिनियमित किए गए हैं

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों का अनुपालन किया जाना चाहिए और उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में धारा 15 ए की उप-धारा (3) और (5) में सन्निहित वैधानिक आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।

21. हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि धारा 15 ए की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि पीड़ित या उनके परिवार को एक उचित और समय पर नोटिस जारी किया जाना चाहिए। आश्रित। इसका मतलब यह होगा कि पीड़ितों या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों को नोटिस दिया जाता है

21] 8 एस सी आर।

उनके आश्रित, मामले में हुई प्रगति से अनजान रहेंगे और यह अभियुक्त के बचाव का प्रभावी ढंग से विरोध करने के उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यह अंततः जमानत की कार्यवाही या मुकदमे में भी देरी करेगा, जिससे अभियुक्त के अधिकार भी प्रभावित होंगे। 22. एस. सी./एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा, एस. सी./एस. टी. के एकल न्यायाधीश द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।

उच्च न्यायालय उन विचारों के लिए जो जमानत की मंजूरी को नियंत्रित करते हैं। यह न्यायालय हाल ही में रमेश भवन राठौड़ बनाम. विशनभाई हीराभाई मकवाना 1 5, जिसमें हममें से एक हिस्सा (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) थे, ने जमानत देने को नियंत्रित करने वाले विचारों पर विस्तार से बताया है। यह

अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक न्यायाधीश द्वारा कारणों को दर्ज करना औपचारिकता में एक कार्य नहीं है, बल्कि न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता का एक अभ्यास है, जो निर्णय को तर्क और न्याय की कसौटी पर आगे की जांच के लिए उपलब्ध कराता है। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 39. सी. आर. पी. सी. की धारा 439 के तहत जमानत देना एक ऐसा मामला है जिसमें

न्यायिक विवेक का प्रयोग। जमानत देने या अस्वीकार करने में न्यायिक विवेकाधिकार-जैसा कि किसी अन्य विवेकाधिकार के मामले में है जो एक न्यायिक संस्थान के रूप में अदालत में निहित है, असंरचित नहीं है। कारणों को दर्ज करने का कर्तव्य एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है जो यह सुनिश्चित करता है कि अदालत को सौंपे गए विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाए। न्यायिक आदेश में कारणों की रिकॉर्डिंग यह सुनिश्चित करती है कि आदेश में अंतर्निहित विचार प्रक्रिया जांच के अधीन है और यह तर्क और न्याय के वस्तुनिष्ठ मानकों को पूरा करती है।
40. जिस तरह से विशन (ए-6) की जमानत के लिए आवेदन का निपटारा किया गया था, हम उस पर अपनी अस्वीकृति दर्ज करने के लिए भी विवश हैं। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए जमानत देने के अपने फैसले का समर्थन करने की मांग की कि उसने रिकॉर्ड पर सामग्री का अवलोकन किया है और "सबूतों पर विस्तार से चर्चा किए बिना" जमानत दे रहा हैः

(1) मामले के तथ्य;

(2) आरोपों की प्रकृति;

(3) अपराधों की गंभीरता; और

(4) अभियुक्त की भूमिका "।

15 (2021) 6 एस. सी. सी. 230 हरिराम भाम्भी बनाम।

23. प्रथम प्रत्यर्थी को जमानत देते समय, उच्च न्यायालय ने 7 नवंबर 2019 के अपने आदेश में केवल प्रथम प्रत्यर्थी के लिए वकील की प्रस्तुति दर्ज की कि पीडब्लू-2, मृतक की पत्नी ने मुकदमे के दौरान दर्ज अपने बयान के दौरान कहा था कि मृतक अपने भाई किशन लाल के साथ गई थी; कि किशन लाल ने मृतक के नाम पर एक बीमा पॉलिसी प्राप्त की थी और किशन लाल ने अपने दोस्तों की मदद से बीमा पॉलिसी की आय प्राप्त करने के लिए हत्या की थी। प्रथम प्रतिवादी के वकील की दलीलें दर्ज करने के बाद जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश में यह ध्यान देने के अलावा कोई तर्क नहीं है कि लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि

"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए" पहले प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करना न्यायसंगत और समीचीन था। इस तरह के आदेश पारित नहीं हो सकते।

मस्टर। कारणों को दर्ज करने के कर्तव्य को प्रस्तुतियों को दर्ज करके समाप्त नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद "तथ्यों और परिस्थितियों में एक सर्वव्यापी" सूत्र होता है। संक्षिप्त कारण जो जमानत देने के आधार को इंगित करते हैं, आवश्यक हैं, क्योंकि यह अदालत द्वारा प्रस्तुत कारण हैं जो आदेश के आधार को इंगित करते हैं। 24. इससे पहले कि उच्च न्यायालय ने 7 नवंबर 2019 के अपने आदेश से जमानत दी, अंतिम रिपोर्ट 6 सितंबर 2018 को प्रस्तुत की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट में उन अभियुक्तों के कॉल डेटा रिकॉर्ड का विस्तृत विश्लेषण किया गया है जो एक-दूसरे के लगातार संपर्क में थे, साथ ही साथ घटना की तारीख और समय के निकट उनके स्थान का भी विस्तृत विश्लेषण किया गया है। जमानत आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है

25. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का दिनांक 8 जून का विवादित आदेश। 2021 एस. बी. आपराधिक जमानत रद्द करने के लिए आवेदन संख्या 21/2020 को अलग रखा गया है। 7 नवंबर को पहले प्रतिवादी को जमानत देने का आदेश

एक 2019 अलग रखा जाएगा। पहला प्रतिवादी 7 नवंबर 2021 को या उससे पहले हिरासत में आत्मसमर्पण करेगा।

26. इस निर्णय के दौरान की गई टिप्पणियाँ हैं -

केवल प्रथम प्रत्यर्थी को जमानत देने पर विचार करने के उद्देश्य से और इसका मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी.

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

देविका गुजराल